रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 20, 2013/चैत्र 30, 1935
No. 80] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 20, 2013/CHAITRA 30, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2013

सं0 06 (आर.ई. 2013)/2009–2014

विषयः 4 प्रतिशत पुनः क्रेडिट सीवीडी (एसएडी) हेतु डीईपीबी/रिवार्ड स्क्रिप के रिफंड/पुनः प्रमाणीकरण की प्रक्रिया।

फा.सं. 01/94/180/डीईपीबी–एसएडी रिक्रेडिट/एएम–10/पीसी–4.— विदेश व्यापार नीति 2009–14 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड–I) 2009–14 के पैरा 2.13.2क में संशोधन करते हैं और उक्त पैरा की सामग्री को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करते हैं :—

(i) केवल सीमा शुल्क के 4 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) के पुनः क्रेडिट का लाभ उठाने के प्रयोजन हेतु, मुक्त रूप से हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (डीईपीबी सहित) को 30.09.2013 तक पुनः प्रमाणित माना जाएगा। संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा ऐसी स्क्रिप्स पर आगे किसी पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) यदि समेकित प्रमाण–पत्र (क्रेडिट नोट) पहले ही सीमा शुल्क द्वारा जारी किया जा चुका है अथवा 30.06.2013 तक जारी हो जाता है, तो विदेश व्यापार महानिदेशालय के किसी भी क्षेत्रीय प्राधिकारी को आगे किसी संदर्भ के बिना, सीमा शुल्क द्वारा समेकित प्रमाण–पत्र में इंगित राशि (4 प्रतिशत एसएडी) को ऐसे मामलों में स्क्रिप्स में पुनः क्रेडिट कर लिया मान लिया जाएगा।

2. यह पुनः क्रेडिट की गई स्क्रिप्स को उपयोग करने हेतु आखिरी विस्तार है। किसी भी हाल में सरकार द्वारा कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। भविष्य में इस प्रकार के रिफंड हेतु इच्छुक आयातकों को एसएडी का भुगतान नकद करना होगा।

सार्वजनिक सूचना का प्रभाव :

निर्यातक अब 30.09.2013 तक 4 प्रतिशत पुनः क्रेडिट किए गए विशेष अतिरिक्त शुल्क का उपयोग कर सकेंगे। पुनः प्रमाणन हेतु क्षेत्रीय प्राधिकारी से आगे किसी पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं है। आगे इसे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 18th April, 2013

No. 06 (RE–2013)/2009-2014

Subject: : Procedure for refund/revalidation of DEPBs/Reward Scrips for re-credit of 4% CVD (SAD).

F. No. 01/94/180/DEPB-SAD recredit/AM10/PC-4.—In exercise of powers conferred under Para 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-14, the Director General of Foreign Trade hereby amends Paragraph 2.13.2A of the Handbook of Procedures (Vol.1), 2009-14 by substituting contents of the said para with the following :—

"(i) Only for the purpose of utilisation of re-credit of 4% Special Additional Duty (SAD) of customs, the freely transferable duty credit scrips (including DEPB), shall be deemed to have been revalidated till 30.09.2013. No further endorsement by the respective RA on such scrips shall be required.

(ii) If the consolidated certificate (Credit Note) has already been issued by Customs **or** gets issued by 30.06.2013, then the amount (4% SAD) indicated in the consolidated certificate by customs shall be deemed to have been re-credited in the scrips in such cases, without any further reference to any RA of DGFT. "

2. This is the last and final extension to use the re-credited scrips. No further extension shall be considered by the Government under any circumstances. Importers desirous of such refund in future must make the payment of SAD in cash.

Effect of Public Notice :

The exporters will now be able to utilize 4% re-credited SAD till 30.09.2013. No further endorsement is required from RA for revalidation. No further extension would be considered.

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054